18. संगठन और प्रबंध

डेयर

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर) की स्थापना कृषि मंत्रालय में दिसंबर 1973 में की गई थी। डेयर के कार्यों का आवंटन भारत सरकार के कार्य बंटवारा नियमों के अनुसार किया गया। इन्हें डेयर के परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अनु.प.) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है। डेयर में भारत सरकार का सचिव भा.कृ.अनु.प. के महानिदेशक के रूप में कार्य करता है, डेयर का वित्त सलाहकार ही भा.कृ.अनु.प. के वित्त सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सामान्यत: डेयर तथा भा.कृ.अनु.प. के बीच एकल फाइल प्रणाली का पालन किया जाता है। विभाग में एक और स्वायत्तशासी संस्था है— केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल। विभाग द्वारा इसका प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एवं त्रिपुरा है और इसे पूर्ण वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

डेयर में समूह ए के 17, समूह बी के 13, समूह सी के 13 और समूह डी के 6 कर्मचारी हैं। परिशिष्ट-II समूह ए, बी, सी पदों पर नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अथवा कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा पद के अनुसार की जाती हैं। डेयर में सीधी नियुक्ति केवल समूह डी के पदों के लिए की जाती है। ये नियुक्तियां भारत सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को ध्यान में रखकर की जा रहीं हैं। इस समय डेयर में अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जनजाति के 2 कर्मचारी हैं।

प्रमुख कार्यकारियों के पदों एवं नामों का विवरण डेयर के परिशिष्ट-II में दिया गया है। वित्तीय आवश्यकताओं (अनुदान सं. 2) में 2010-11 के लिए डेयर तथा भा.कृ.अनु.प. (योजना तथा गैर-योजना) का बजट अनुमान (बी.ई.) तथा संशोधित अनुमान (आर.ई.) और वर्ष 2011-12 (योजना और गैर योजना) अनुमान शमिल है। इन वित्तीय आंकड़ों का विस्तृत विवरण डेयर के परिशिष्ट-III में दिया गया है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में एक राजभाषा अनुभाग है। इसमें एक पद उपनिदेशक (राजभाषा), कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी लिपिक हैं। इस अनुभाग में बजट का हिन्दी अनुवाद और विभाग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। हिन्दी कार्यशालाओं, बैठकों, रिपोर्टों कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दी पखवाड़े का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है।

भा.कृ.अनु.प.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्तशासी संगठन के रूप मे किया गया है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों पर सोशायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत 16 जुलाई 1929 को पंजीकृत सोसायटी के रूप में भा.कृ.अनु.प. की स्थापना की गई। वर्ष 1965 तथा 1973 में दो बार इसका पुनर्गठन किया गया। पहले इसे इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता था। भा.कृ.अनु.प. का मुख्यालय कृषि भवन, नई दिल्ली में है और इसके अन्य भवन कृषि अनुसंधान भवन-I और II और एन ए एस सी भी नई दिल्ली में स्थित हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री भा.कृ.अनु.प. के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महानिदेशक होता है जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) में भारत सरकार का सचिव भी होता है। भा.कृ.अनु.प. सोसायटी का सामान्य निकाय भा.कृ.अनु.प. की सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था है और कृषि मंत्री, भारत सरकार इसके अध्यक्ष होते हैं। सामान्य निकाय के सदस्यों में कृषि, पशुपालन, मछली पालन मंत्री, विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, सांसद, उद्योग, शिक्षा संस्थानों, वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधि, तथा किसान सम्मिलित हैं (परिशिष्ट-1)।

शासी निकाय (परिशिष्ट-2) भा.कृ.अनु.प. का मुख्य कार्यकारी तथा निर्णय लेने वाला प्राधिकरण होता है। महानिदेशक इसका अध्यक्ष होता है। प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विधायक तथा किसानों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इसके सहयोगी संगठन हैं- स्थायी वित्त समिति, प्रत्यायन मंडल, क्षेत्रीय समितियां, नीति नियोजन समिति, विभिन्न वैज्ञानिक पैनल तथा प्रकाशन समिति। वैज्ञानिक मामलों में महानिदेशक को 8 उप महानिदेशक सहयोग देते हैं। ये (i) फसल विज्ञान, (ii) बागवानी, (iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, (iv) कृषि इंजीनियरिंग, (v) पशु पालन, (vi) मात्स्यिकी, (vii) कृषि शिक्षा, तथा (viii) कृषि प्रसार क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय निदेशक (एनएआईपी) और एक राष्ट्रीय समन्वयक (एनएफबीएसएफएआरए) भी इससे सम्बद्ध है।

उप महानिदेशक अपने संबंधित विषय के संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों और परियोजना महानिदेशालयों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय निदेशक (एनएआईपी) को एनएआईपी के कम्पोनेंट I से IV के तहत जारी समस्त परियोजनाओं का दायित्व सौंपा गया है। एनएआईपी ने कई नीतियों और संस्थागत परिवर्तनों का समर्थन किया और 4 भागों में 185 उप-प्रायजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की। भाग के III तहत 3 उप-प्रायाजनाओं को विश्व बैंक के ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड

द्वारा अतिरिक्त वित्तीय अनुदान देकर सहायता प्रदान की गयी। एनएफबीएसएफएआरए द्वारा बारहवीं योजना में ध्यान देने वाले 12 रणनीतिक प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की गयी।

भा.कृ.अनु.प. द्वारा वैज्ञानिकों और अध्यक्ष भा.कृ.अनु.प. द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट इस प्रकार के अन्य पदों पर नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्तियों के द्वारा की जाती है। यह समस्त चयन प्रक्रिया वर्ष 1973 में गठित स्वतंत्र कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के जरिये पूरी हो जाती है। अध्यक्ष, भा.कृ.अनु.प. के प्रति कृ.वै.च.मं. का उत्तरदायित्व होता है।

भा.कृ.अनु.प. (मुख्यालय) के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट (3) में दी गयी है। भा.कृ.अनु.प. के कृषि अनुसंधान ढांचे में 49 केंद्रीय संस्थान (परिशिष्ट-4), 6 राष्ट्रीय ब्यूरो (परिशिष्ट-5), 27 परियोजना निदेशालय, 8 क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय (परिशिष्ट-6), 19 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (परिशिष्ट-7) तथा 79 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं और अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजनाएं (परिशिष्ट-8) शामिल हैं।

इस वर्ष भा.कृ.अनु.प. ने सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय (दीपा) का नाम बदलकर कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय (डीकेएमए) रखा गया। यह भा.कृ.अनु.प. की संचार इकाई के रूप में कार्य करता है और यहां भा.कृ.अनु.प. एवं इसके संस्थानों की सूचना/ज्ञान के प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है। डी.के.एम.ए. का कार्य प्रकाशन एवं सूचना इकाई, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई (पहले एरिस), पब्लिक रिलेशन इकाई द्वारा किया जाता है। एनएआईपी के तहत ई पब्लिशिंग नॉलेज सिस्टम इन एग्रीकल्चरल रिसर्च नामक प्रोजेक्ट एनएआईपी के दस शीर्ष प्रोजेक्ट में से एक है। विश्व में इसने सार्वजनिक जागरुकता बढ़ाई है। *द इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साईंसेज* के 125,135 और *द इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेंज* के 1,133,007 एब्स्ट्रेक्ट ऑनलाइन देखे गये। पहले जर्नल से 32,562 और दूसरे से 31,729 रिसर्च पेपर डाउनलोड किये गये। भा.कृ.अनु.प. की अनुसंधान पत्रिकाओं को 181 देशों में पढ़ा जाता है और इनके लिए विदेशी लेखकों की संख्या बढ़ रही है। कृषि सूचना के आदान-प्रदान के लिए मोबेलाइजिंग मास मीडिया स्पोर्ट के अलावा डी.के.एम.ए. द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार और सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 52 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 समतुल्य विश्वविद्यालयों और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को धनराशि तथा अन्य सहायता प्रदान करता है और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को डेयर सहायता प्रदान करता है। (परिशिष्ट-9)

भा.कृ.अनु.प. पद्धति में कुल स्वीकृत पदों की संख्या और मौजूदा संख्या (इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं) का ब्यौरा परिशिष्ट 10 में दिया गया है।

इसलिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की टीम के साथ अनुसंधान का वृहद बुनियादी ढांचे लिए कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भा.कृ.अनु.प. ने द्रुतगति से तरक्की की है और खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय प्रयास में सहायक हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी प्रबंधन

भा.कृ.अनु.प. में बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यकलाप त्रिस्तरीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण से होता है। इसके अनुसार संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन यूनिट 95 संस्थानों में एकल विंडो पद्धति से स्थापित किया गया ताकि बौद्धिक संपदा प्रबंधन और हस्तांतरण/व्यावसायीकरण संबंधी बौद्धिक सामग्री का प्रदर्शन किया जा सके। पांच जेडटीएम एंड बीपीडी यूनिट, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी प्रायोजना के साथ सुदृढ़ता और सहायता, आईटीएमयू के सहयोग से संबंधित क्षेत्रों में मध्यस्थता के तौर पर कार्य करता है। अनुसंधान संस्थानों में सृजित विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और वर्गीकरण विभिन्न मानदंडों—तकनीक, विपणन और सामाजिक कारकों के आधार पर किया गया और परिणामस्वरूप बौद्धिक संपदा सुरक्षा हुई।

बौद्धिक संपदा सुरक्षा और टाइटल देना

बौद्धिक संपदा सुरक्षा

पेटेन्ट: 43 पेटेन्ट आवेदन 19 संस्थानों द्वारा (पादप जैवप्रौद्योगिकी पर एनआरसी) नई दिल्ली (9); भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और कृषि में महत्वपूर्ण कीटों पर राष्ट्रीय ब्यूरो, बेंगलुरु (6 प्रत्येक); केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुंबई और गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर (3 प्रत्येक); भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर और राष्ट्रीय समन्वित नाशीकीट प्रबंधन केन्द्र, नई दिल्ली (2 प्रत्येक); केन्द्रीय ताजा जल जीव संवर्धन संस्थान, भुबनेश्वर; केन्द्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, लुधियाना; केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार; केन्द्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद; केन्द्रीय कंदीय अनुसंधान संस्थान, श्रीकरियम, तिरुवंनंतपुरम; मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु; भारतीय प्राकृतिक रेज़िम और गोंद संस्थान, रांची; भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल; और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद (प्रत्येक 1)/एक अन्तर्राष्ट्रीय और 3 राष्ट्रीय पेटेंट आवेदनों को इस साल मंजूरी दी गयी।

पादप किस्में: पादप किस्म सुरक्षा और कृषक अधिकार प्राधिकरण ने नये पादप क्षेत्र अधिसूचित किये, 66 किस्में (60 देशज और 6 नई) के आवेदन पादप किस्म रजिस्ट्री में दिये गये। इसमें शामिल हैं—गेहूं, ज्वार, मूंगफली, अलसी, तिल, अरंडी, गन्ना कपास, टमाटर, आलू, बैंगन, बंदगोभी, फूलगोभी और गुलदाउदी। भा.कृ.अनु.प. द्वारा पादप किस्म पंजीकरण के लिए कुल 821 (736 देशज और 85 नई किस्में) आवेदन किये गये। इनमें से 198 देशज किस्मों का पंजीकरण किया गया है और सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है और 436 आवेदन *पादप किस्म जर्नल* में प्रकाशित किये गये।

ट्रेडमार्क: राष्ट्री केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची ने एनआरसीबी ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट को ''आई आई एस आर'' ट्रेडमार्क प्रदान किया गया।

कॉपीराइट: भा.कृ.अनु.प. संस्थानों द्वारा उनके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए छः कॉपीराइट पंजीकृत किये गये। केन्द्र शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज ''वैदर कॉक'' को जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित किया गया है और यह किसी विशेष क्षेत्र/स्थान के लिए कृषि मौसम विश्लेशण करके उसका फसल पर संभावित प्रभाव बताने के लिए समर्थ है। इसी तरह डायनेमिक रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेअर जो रोग या पशुधन संबंधी डेटा का भंडारण और विश्लेषण करने में समर्थ है, 3 डेटाबेस, *पशुधन एवं कुक्कुट रोग सूचना प्रणाली* और डिजिटल *पशु स्वास्थ्य एवम् पशुपालन प्रश्नोत्तरी* का विकास और पंजीकरण भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर द्वारा किया गया। इसके अलावा दो सॉफ्टवेयर रिसोर्स 'ए रिजनल रिसोर्स क्रेक्टराइजिंग सिस्टम' और 'यूएसएआरएन ईआईए टूल फॉर मैनेजिंग साल्ट एफेक्टिड एग्रीकल्चरल लेंड्स एंड इरिगेशन वाटरस' का पंजीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

डिजाइन पंजीकरण: आईवीआरआई, इज्जतनगर द्वारा डिजाइन पंजीकरण के लिए 4 आवेदन दिये गये—बहु पोषण आहार ब्लॉक बनाने की मशीन (पशु चॉकलेटर); प्रेशर-सह-उपचार मशीन; एक हार्सपावर सिंगल फेज़ 2800 आरपीएम इलैक्ट्रिक मोटर चालित बिना गियर की घास काटने की मशीन, इसमें वाइब्रेशन डेम्पनर है; और बच्चों के लिए बल्क मिल्क फीडर। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर के स्केफोल्डिंग यूनिट के डिजाइन को पंजीकृत किया गया।

बौद्धिक संपदा सुदृढ़ीकरण और प्रौद्योगिकी प्रबंधन पद्धति

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यावसायीकरण

लाइसेंस/समझौते/एमओए/एमओयू प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यावसायीकरण के लिए परामर्श सेवा, अनुबंध अनुसंधान प्रमाणीकरण आदि सेवाओं सुदृढ़ता के आधार पर संस्थानों ने निजी संगठनों, कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों के साथ भागीदारी की। कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी किस्में जिनका लाइसेंस/हस्तांतरण किया गया इस प्रकार हैं—

फसल किस्में: धान संकर डीआरआरएच 2 (डीआरआर, हैदराबाद); गेहूं किस्म एचडी 2967 (टीएलसीड्स), पूसा धान संकर पीआरएच 10, मक्का संकर—पीईईएचएम 5 और गेहूं किस्म एचआई 1563 (भा.कृ.अनु.सं., नई दिल्ली); फ्रेंचबीन किस्में—अर्का शरद, अर्का मेघना; मिर्च संकर—अर्का हरिता और अर्का कोमल (आईआईएचए, बेंगलुरु); और हल्दी किस्में—आईआईएसआर और प्रतिभा और आईआईएसआर एलेप्पी सुप्रीम (आईआईएसआर, कालीकट)।

पशु चिकित्सा प्रौद्योगिकियां: बटेर उत्पादन प्रौद्योगिकी (केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर); क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण और यूरिया मोलेसेस खनिज ब्लॉक (आईवीआरआई, इज्जतनगर); कुक्कुट प्रजनन-वनराज, ग्रामप्रिया और कृषिब्रो (कुक्कुट प्रायोजना निदेशालय, हैदराबाद)।

मात्स्यिकी प्रौद्योगिकियां: झींगा आहार प्रौद्योगिकी पर परामर्श (सीआईबीए, चेन्नई); प्रॉन कवच अपशिष्ट से काइटिन और चिटोसन की निष्कर्षण विधि; अपशिष्ट उपचार संयंत्र प्रौद्योगिकी (ईटीपी), सीआईएफटी, कोच्चि।

प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां: सोयामिल्क और पनीर, मांस, टमाटर और अदरक प्रसंस्करण, ब्लैकराइस से ब्रेड और बिस्कुट, हरी मिर्च पाउडर और प्यूरी (सिफेट, लुधियाना); पॉलीमर फाइबर सेप्रेटर मशीन (सीटीआरआई, केवीके, रजामुंद्री); अनाज और छिल्का सेप्रेटर (डीएमआर, नई दिल्ली); पूसा फ्रूट ड्रिंक (आईएआरआई, नई दिल्ली); मांस आधारित इम्लशन तैयार करना और उत्पादों का विपणन परिक्षण (राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद) और गन्ना जूस पाउडर तैयार करने की विधि (एसबीआई, कोयम्बटूर)।

फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियां: उन्नत वायुवीय कीट जाल (डीएमआर, नई दिल्ली); कीटनाशियों का मूल्यांकन (डीडब्लयूआर, करनाल); फलों और सब्जियों के लिए जैविक एजेंट का उत्पादन (आईआईएचआर, बेंगलुरु); आरएमएआई जीन कंस्ट्रक्ट अगेंस्ट टीओएलसीवी वायरस (भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली); Cry/Aa-B जीन, बीटी खेमेटो इवेन्ट 25, Cry/Aabbc जीन और Cry/Fal जीन (राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली)।

अन्य कार्यकलाप

कृषि उद्योगों के साथ सभी स्तरों पर नार्स के संबंधों को मजबूत करने और एक बेहतर क्लाइंट ओरिएन्टेशन के लिए आईपी एंड टीएम यूनिट ने 'आईसीएआर-सी 11 उद्योग बैठक, 2011' कांफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (C11) के सहयोग से 23 मई 2011; और 17 सितंबर 2011 को गैर-सरकारी संगठनों और कृषकों उद्यमियों के साथ बैठक 17 सितंबर 2011 को आयोजित की गयी। आईसीएआर-सी 11 उद्योग बैठक का प्रमुख उद्देश्य

श्री शरद पवार, माननीय केन्द्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की पशु विज्ञान और मात्स्यिकी के वैज्ञानिकों के साथ बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगों और नार्स के बीच संबंधों को मजबूत करना है। 3 प्रमुख विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया—1. उद्योगों की अनुसंधान और विकास आवश्यकताएं, 2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एग्री बिजनेस और 3. हाई एंड रिसर्च। 'भा.कृ.अनु.प.-सी11 उद्योग बैठक 2011' का उद्देश्य भा.कृ.अनु.प. में गुड्स और सर्विसेज के लिए बिजनेस संभावनाएं तलाश करना और उद्योगों के साथ मिलकर मानव संसाधन क्षमता बढ़ाना है।

प्रशासन

भर्ती

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कैडर समीक्षा प्रस्ताव के परिणामस्वरूप निम्न पद भरे गये हैं—निदेशक के पद पर 8

भर्ती, उपसचिव/प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी 20 पद, 16 अवर सचिव, 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 47 प्रशासनिक अधिकारी, 2 निदेशक/वित्त, दो प्रमुख वित्त एवं लेखा अधिकारी, 11 वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, 40 वित्त एवं लेखा अधिकारी, 28 अनुभाग अधिकारी, 12 प्रमुख निजी सचिव, 20 निजी सचिव, 1 कानूनी सहायक, 1 अपर श्रेणी लिपिक, 29 अवर श्रेणी लिपिक और 2 दक्ष सहायक कर्मचारी। वर्ष 2010-11 के दौरान की नियमित भर्तियां भी इसमें शामिल हैं।

एमएसीपी स्कीम के तहत वेतन वृद्धि की मंजूरी

भारत सरकार के निर्देशानुसार इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के कई योग्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी गई। इनमें सीएओ/एसएओ, वित्त एवं लेखा अधिकारी, निजी सचिव अनुभाग अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, सहायक निदेशक (राजभाषा), आशुलिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक और सहायक दक्ष कर्मचारी शामिल हैं।

स्टाफ कल्याण निधि योजना

(i) निधि योजना की प्रबंधन समिति की सिफारिशों के अनुरूप भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के 5 दिवंगत कर्मचारी के परिवारों को 1,25,000 रुपए वित्तीय सहायता दी गयी।

(ii) स्टाफ कल्याण निधि योजना के अंतर्गत परिषद के कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को छात्रवृत्तियां (48) 2,500 रुपये प्रत्येक दी गईं।

वित्त एवं लेखा परीक्षा

वर्ष 2010-11 के गैर-योजना संशोधित अनुमान के ₹ 2,865.00 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹ 2,856 करोड़ भा.कृ.अनु.प. को आबंटित किये गये और 7.28 करोड़ रुपये डेयर के कार्यकलाप और 1.50 करोड़ रुपये एपी सैस फंड संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटित किये गये। इस आबंटन में से ₹ 14.34 करोड़ पूंजीगत निवेश हेतु और बाकी ₹ 2,841.88 करोड़ भा.कृ.अनु.प. के राजस्व व्यय के लिए आबंटित किये गये।

आंतरिक संसाधनों से भा.कृ.अनु.प. ने ₹ 113.93 करोड़ आय (ऋण एवं अग्रिम राशि पर ब्याज, रिवाल्विंग फंड स्कीम से आय और लघु अवधि जमा राशि पर ब्याज शामिल है) का सृजन किया जिसमें से ₹ 53.76 करोड़ भा.कृ.अनु.प. के विभिन्न उद्देश्यों पर खर्च किये गये। योजना के तहत, कुल आबंटन 2,300.00 करोड़ रुपये में से, 230.00 करोड़ रुपये उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आबंटित किये गये (केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल के लिए ₹ 80.00 करोड़, और उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित भा.कृ.अनु.प. कार्यकलापों के लिए ₹ 150.00 करोड़) और बाकी बचे ₹ 2070 करोड़ में से ₹ 2061.24 करोड़ भा.कृ.अनु.प. को और डेयर को ₹ 8.76 करोड़ आबंटित किये गये।

वर्ष 2011-12 में 2,157.60 करोड़ रुपये के गैर-योजना बजट में से भा.कृ.अनु.प. को ₹ 2148.76 करोड़, ₹ 1.00 करोड़ ए.पी. सैस फंड आधारित योजनाओं/उपप्रयोजनाओं और बाकी बचे ₹ 7.84 करोड़ डेयर को आबंटित किये गये। गैर-योजना बजट आंकलन में पूंजीगत निवेश के लिए ₹ 15.00 करोड़ वर्ष 2011-12 के लिए आबंटित किये गये। भा.कृ.अनु.प. के राजस्व व्यय हेतु बाकी बचे ₹ 2133.76 करोड़ का आबंटन किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए आंतरिक संसाधन सृजन का लक्ष्य ₹ 62.09 करोड़ रखा गया है। योजना के तहत ₹ 2,800 करोड़ के कुल आबंटन में से, ₹ 308.00 करोड़ उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों (108.00 करोड़ रुपये केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और 200.00 करोड़ रुपये उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में भा.कृ.अनु.प. गतिविधियों के लिए) को आबंटित किये गये। और बाकी राशि में से ₹ 2461.00 करोड़ भा.कृ.अनु.प. और ₹ 31.00 करोड़ डेयर को आबंटित किये गये।

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

डेयर

डेयर में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन और उसे लागू करने के उद्देश्य से राजभाषा अनुभाग है। इस अनुभाग में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा एक हिंदी टंकक है। विभाग के बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी में अनुवाद किया जाता है। हिंदी कार्यशालाओं, बैठकों का आयोजन, रिपोर्टों आदि का कार्य और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु हिंदी पखवाड़ा का आयोजन आदि इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

उपलब्धियां हैं:

1. राजभाषा नियमावली, 1976 नियम 10(4) के अन्तर्गत परिषद के 3 संस्थानों/केंद्रों को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस प्रकार अधिसूचित संस्थानों की संख्या बढ़कर 118 हो गई।
2. अतिरिक्त सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/सचिव, भा.कृ.अनु.प. की अध्यक्षता में गठित डेयर तथा परिषद् की संयुक्त कार्यान्वयन समिति की तीन बैठक हुई। ठीक इसी प्रकार परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है तथा उनकी बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं।
3. परिषद मुख्यालय में सभी संस्थानों से प्राप्त होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों तथा तिमाही रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की गई और कमियों को सुधारने के उपाय सुझाए गये।
4. हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलाने के लिए एक रोस्टर रखा गया है और तदनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से नामित किया जा रहा है। इस वर्ष 17 टाइपिस्टों को क्रमश: हिंदी आशुलिपि और टाइपिंग के लिए नामित किया गया है।
5. परिषद मुख्यालय में ''हिंदी चेतना मास'' का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों को कार्यालय संबंधी कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री जी का संदेश जारी किया गया।

महानिदेशक महोदय ने भी एक अपील जारी करके सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अनुरोध किया। विभिन्न संस्थानों/ केंद्रों में भी हिंदी दिवस/ सप्ताह/ मास का आयोजन किया गया।

6. अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
7. मुख्यालय के 10 अधिकारियों को अधिकतम कार्य हिंदी में करने के लिए नकद पुरस्कार दिया गया।
8. **राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार** अधिकतम कार्य हिंदी में करने के लिए निम्न संस्थानों को दिया गया।
   (i) बड़े संस्थान का प्रथम पुरस्कार: भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर और द्वितीय पुरस्कार, क्रीडा, हैदराबाद को दिया गया।
   (ii) छोटे संस्थान का 'क' और 'ख' क्षेत्र के लिए पुरस्कार प्रथम पुरस्कार सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर और द्वितीय तोरिया-सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर को दिया गया।
   (iii) क्षेत्रीय संस्थान पुरस्कार: प्रथम पुरस्कार केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि और द्वितीय जल प्रबंधन निदेशालय, भुबनेश्वर को दिया गया।
9. वर्ष 2010 में *गणेश शंकर विद्यार्थी उत्कृष्ट हिंदी कृषि पत्रिका पुरस्कार* विभिन्न संस्थानों को दिया गया।प्रथम पुरस्कार— *पशु चिकित्सा विज्ञान,* आईवीआरआई, इज्जतनगर; द्वितीय पुरस्कार *'कृषि जल',* जल राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर को दिया गया।
10. राजभाषा विभाग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार परिषद में हिंदी की प्रगति का जायजा लेने के लिए वर्ष 2011 (मुख्यालय और उनके संस्थानों सहित) 23 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय व सुझाव दिये गये। संसदीय राजभाषा की दूसरी उप-समिति ने इस वर्ष परिषद के 11 संस्थानों/केन्द्रों का निरीक्षण किया है।
11. परिषद और इनके केंद्रों/ विभिन्न संस्थानों द्वारा जन उपयोगी व किसानों के लिए चलाए जाने वाले अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चलाए जा रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों तथा परिषद के कृषि विस्तार संबंधी सभी क्रियाकलापों में हिंदी व स्थानीय भाषाओं के प्रयोग में बहुत प्रगति हुई है।
12. संसद में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त सामग्री के अलावा, वार्षिक योजना रिपोर्ट, अनुदान मांगों की समीक्षा, शासी निकाय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की वार्षिक आम सभा सहित अनेक बैठकों की समस्त सामग्री हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई। माननीय कृषि मंत्री व परिषद के अन्य उच्च अधिकारियों ने अपने अनेक व्याख्यान हिंदी में दिये। परिषद मुख्यालय में उनके भाषणों का मसौदा मूल रूप से हिंदी में तैयार किया गया।

तकनीकी समन्वयन

परिषद ने प्रकाशन के लिए 48 पत्रिकाओं; 25 सोसायटियों/ सहयोगों/विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय सेमिनार/सिम्पोजिया/संगोष्ठी आयोजित करने के लिए और 21 सोसायटियों/सहयोगों/विश्वविद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/सिम्पोजिया/संगोष्ठी के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। नास, भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस और आईएयूए को वार्षिक अनुदान जारी किया गया। 22 जुलाई 2011 को 12वीं योजना के सुझाव के लिए विभिन्न वैज्ञानिक सोसायटियों के कार्यकारी समिति सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। वीआईपी के 35 प्रश्नों, आरटीआई के 8 प्रश्नों और 28 संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया गया। डेयर और लेखा की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश की गयी।

10-12 जनवरी 2011 को सीएसएसआरआई, करनाल और भा.कृ.अनु.प. अनुसंधान परिसर, बारापानी, मेघालय में 5-7 मई 2011 को क्षेत्रीय समिति संख्या 5 और 3 की बैठक का आयोजन किया गया। भा.कृ.अनु.प. अनुसंधान परिसर, बारापानी, मेघालय में आयोजित क्षेत्रीय समिति संख्या 3 की बैठक में अनुसंधान योग्य निम्न विषयों पर चर्चा हुई - क्षेत्रीय जैव विविधता मंडलों का गठन, स्वाइन बुखार वैक्सीन, अम्लीय मृदा रन्ध्रता, विभिन्न फसलों के लिए कृषि क्रियाओं का पैकेज, झूम खेती, अनन्नास का आईएनएम/नॉलेज इन्नावेशन रिपोजिटरी इन एग्रीकल्चरल फॉर नार्थ ईस्ट (किरन) का उदघाटन किया गया।

भा.कृ.अनु.प. संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजना निदेशालयों में अनुसंधान एवं अन्य संबंधित सामग्री में प्रमुख नई खोजों की मासिक रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय, मंत्रियों और विभागों को समयानुसार सौप दी गयी।

इन हाऊस शोध और निजी उद्यमियों की विकास इकाइयों की पहचान के लिए प्रस्तावों की संस्तुति में भा.कृ.अनु.प. ने डीएसआईआर को सहयोग दिया। विभिन्न देशों के साथ कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्ययोजनाएं (29) तैयार की गयीं। भा.कृ.अनु.प. वैज्ञानिकों और स्टाफ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रिर्पोटों का मूल्यांकन कर उनकी जांच की गयी।

23 से 24 फरवरी 2011 और 15 जुलाई 2011 को समन्वयन इकाई द्वारा दो निदेशक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। 23-24 फरवरी 2011 को आयोजित पहली संगोष्ठी में महानिदेशक ने विशेषज्ञ कृषि की आवश्यकता पर जोर दिया। जिसमें विशेषज्ञ उद्यम से थोड़ी सी जमीन पर ही ज्यादा आय का सृजन किया जा सकता है क्योंकि यह बेहद फायदेमंद बिजनेस साबित होगा। विशिष्ट अनुसंधान के लिए '*हब*' की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 15 जुलाई 2011 को आयोजित दूसरी संगोष्ठी में इस बात पर जोर दिया गया कि नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर के तहत पहाड़ी और शुष्क भूमि कृषि पर महत्व देना होगा। भावी योजनाओं के लिए महानिदेशक ने भा.कृ.अनु.प. में कार्यरत विभिन्न कार्य समूहों को विभिन्न प्लेटफार्म पर कार्यभार सौंपा। ये प्लेटफार्म हैं—जीनोमिक्स; बीज संकर किस्में; जलवायु परिवर्तन; कृषि संरक्षण; जीएम फूड; हैल्थ फूड, खाद्य एवं चारा; रेशे; बायोफोर्टिफिकेशन; निदान और वैक्सीन; स्टीक कृषि, कृषि मशीनरी और ऊर्जा; नैनोप्रौद्योगिकी; उच्च मूल्य कम्पाउंड/पादप रसायन; जल; जलीय ठोस कृषि अपशिष्ट, म्युनिसिपल; द्वितीयक कृषि-प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, बकरी, सूअर और कुक्कुट पर मिशन।

पुरस्कार और प्रशस्ति

डा. के.एल. चड्ढा, भूतपूर्व राष्ट्रीय प्रोफेसर, भा.कृ.अनु.प. और विशिष्ट बागवानी वैज्ञानिक; डा. विजयपाल सिंह, भूतपूर्व प्रमुख वैज्ञानिक, भा.कृ.अनु.प. और विख्यात धान प्रजनक को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदमश्री से सम्मानित किया गया।

कृषि में उभरती चुनौतियों के मद्देनजर विशेषतौर से दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में, भा.कृ.अनु.प. और सिम्मिट ने दक्षिणी एशियाई बॉरलॉग संस्थान की स्थापना लुधियाना, पंजाब; पूसा (समस्तीपुर), बिहार; और जबलपुर, मध्यप्रदेश में साझा प्रायोजना 'मक्का और गेहूं पद्धति में वैज्ञानिक और तकनीकी भागीदारी पर कार्ययोजना' के तहत 5 वर्ष के लिए की है। भारत सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम और क्षेत्रीय, सार्वजनिक और निजी निवेशकों द्वारा वित्तीय निवेश और अन्य सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा भा.कृ.अनु.प. द्वारा 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार शुरु किये जा चुके हैं: आई.सी.ए.आर. नॉरमान बॉरलाग पुरस्कार और आईसीएआर चैलेन्ज अवार्ड। बॉरलॉग पुरस्कार ऐसे वैज्ञानिक को दिये जाते हैं जिसमें कृषि में नये दृष्टिकोण से ऐसी खोज की हो जिससे भविष्य में उच्च संभावनाएं हों और आईसीएआर चैलेन्ज अवार्ड।

भा.कृ.अनु.प. पुरस्कार समारोह 2010: 16 जुलाई 2011 को पूसा नई दिल्ली को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में भा.कृ.अनु.प. पुरस्कार समारोह 2010 का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री शरद पवार, केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये पुरस्कार प्रदान किये और कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार द्वारा जो पहचान मिली है इससे उनमें ज्यादा जोश और सृजनात्मकता आयेगी और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री हरीश रावत ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

श्री हरीश रावत (केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री) और डा. सी.डी. महन्त (केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री) से एक कृषक पुरस्कार लेते हुए।

17 विभिन्न वर्गों के तहत 85 पुरस्कार प्रदान किये गये। इनमें 13 संस्थान, 59 वैज्ञानिक 10 कृषक और 3 पत्रकार शामिल हैं। 59 वैज्ञानिकों में से 9 महिला वैज्ञानिक और 1 महिला कृषक शामिल हैं। (परिशिष्ट 11)